भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2001
दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में पेयजल की आपूर्ति

2001. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षित पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पंजाब के कितने गांवों को लक्षित किया गया है;
(ख) इस अवधि में उन कितने गांवों को योजना अंतर्गत वास्तव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया; और
(ग) शेष गांवों को इस योजना के अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) और (ख) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति की सुविधा की कवरेज की निगरानी बसावटों की दृष्टि से करता है न कि गांवों की दृष्टि से। पंजाब राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पंजाब सरकार के पिछले तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (बसावटों की संख्या)	उपलब्धियां (बसावटों की संख्या)
1.	2011-12	1630	643
2.	2012-13	1473	617
3.	2013-14	1545	1227

(ग) दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब राज्य में 15,370 ग्रामीण बसावटों में से 12,563 बसावटें पूर्णत: कवर की गई हैं (अर्थात् प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 40 लीटर की दर से जल प्राप्त कर रहे हैं), 2,788 बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई हैं (अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर से कम की जल की उपलब्धता) और राज्य में 19 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं।

जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराने में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनकी सहायता करती है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत की जाती है और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्शों के पश्चात इसे अनुमोदित किया जाता है। राज्य सरकारों को बसावटों की कवरेज के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्य दिए जाते है।

बहुसंख्यक कारकों जैसे कि भूजल स्रोतों का सूख जाना अथवा स्रोतों में कमी आने, पेयजल स्रोतों में अत्यधिक रसायन अथवा जीवाणुजनित संदूषकों से होने वाला संदूषण, स्कीमों का खराब प्रचालन और प्रबंधन, बिजली की अनियमित आपूर्ति, स्कीमों को चलाने और उनका रखरखाव करने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों के पास निम्न वित्तीय और तकनीकी क्षमता का होना आदि के कारण पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटों का पूर्व स्थिति में लौटकर आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में बदलना अथवा गुणवत्ता प्रभावित स्थिति को प्राप्त करने की वजहों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल का प्रावधान करना निरंतर चलते रहने वाली और परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

एनआरडीडब्लूपी के दिशानिर्देशों 2013 में तय की गई समयसीमाओं के अनुसार; वर्ष 2022 तक, कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में घरेलू कनैक्शन से पाइप से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। निधि की उपलब्धता के अध्यधीन पंजाब राज्य भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।